



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16022022-233468
CG-DL-E-16022022-233468

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 127]
No. 127]

नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 15, 2022/माघ 26, 1943
NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 15, 2022/MAGHA 26, 1943

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय

(पीएचआरडी प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 फरवरी, 2022

सा.का.नि.129(अ).—महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के खंड 3 के उप-खंड 1 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्वारा नीचे दी गई तालिका में क्र.सं.1 के सामने उल्लिखित व्यक्ति को पारादीप महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड का सदस्य नियुक्त करती है।

तालिका

क्र.सं.	सरोकारी	नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	सीमा शुल्क, राजस्व विभाग का सदस्य	सीमा शुल्क के आयुक्त (निवारक), भुवनेश्वर

2. महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 के तहत पारादीप पत्तन हेतु गठित महापत्तन प्राधिकरण बोर्ड, शाश्वत उत्तराधिकार और सामान्य मुहर वाला एक स्थायी निकाय होगा जिसे, इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, चल और अचल दोनों ही प्रकार की संपत्ति का अधिग्रहण, धारण और व्ययन करने की, और संविदा करने की शक्ति होगी, तथा उक्त

नाम से, वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा। सदस्य की नियुक्ति और उसका कार्यकाल अधिनियम में निर्दिष्ट या आधिकारिक क्षमता में पद धारण करने की अवधि, जो भी पहले हो, के अधीन होगा।

[फा.सं.एलबी-11013/1/2021-श्रम]

विक्रम सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PORTS, SHIPPING & WATERWAYS

(PHRD Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th February, 2022

G.S.R. 129(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 1 of Section 3 of the Major Port Authorities Act, 2021, the Central Government hereby appoints the person mentioned against S.No. 1 in the table below, to be a member of the Board of Major Port Authority for Paradip Port

TABLE

Sl. No.	Interests	Name of the Person to be appointed
(1)	(2)	(3)
1.	Member from Customs, Department of Revenue	Commissioner of Customs (Preventive), Bhubaneswar

2. The Board of Major Port Authority for the Paradip Port constituted under Major Port Authorities Act, 2021 shall be a permanent body having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold or dispose of property, both movable and immovable, and to contract, and shall, by the said name, sue or be sued. Appointment of member and its tenure will be subject to term as specified in the Act or holding of the post in official capacity, whichever is earlier.

[F.No.LB-11013/1/2021-Labour]

VIKRAM SINGH, Jt. Secy.